न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 59 / 2025

श्री धर्मराज चौधरी पुत्र श्योजीराम चौधरी निवासी बगडी तहसील पीपलू जिला टोंक राज.

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 28.08.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 555 दिनाक 05.06.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

ग्राम पंचायत बगड़ी तहसील पीपलू जिला टोंक मे हल्का पटवार नामांतकरण संख्या 104 खसरा नंबर 1126, 1341, 2450, 2571, 2574, 987 व वर्तमान खाता संख्या 231 है, इसकी दान पत्र रजिस्ट्री की कॉपी दिनाक 16.09.1976 की देने हेतु निवेदन किया है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू को पत्र कमांक 1288 दिनांक 16.07.2025, 1478 दिनांक 31.07.2025 एवं 1626 दिनांक 18.08.2025 प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू द्वारा पत्र कमांकः 694 दिनांक 28.07.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि सूचना के संबंध में उनके पत्र कमांक 578 दिनांक 19.06.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक